

UPGK160011592004



न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे) गोरखपुर।  
उपस्थित:- प्राग दत्त शुक्ल (उ०प्र० न्यायिक सेवा)  
CNR No.- UPGK-1600-11592004  
मुकदमा संख्या – 4741/2004

राज्य-----अभियोजन पक्ष

**बनाम**

महेश राय पुत्र श्री मिश्री लाल राय

निवासी- गोपालपुर मरीचा, थाना महुआ, जिला वैशाली, बिहार-----अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या- 398/2004

धारा- 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट

थाना- जी०आर०पी०, गोरखपुर।

**निर्णय**

1. अभियुक्त महेश राय के विरुद्ध मुकदमा संख्या 4741/2004, मुकदमा अपराध संख्या 398/2004 अंतर्गत धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना जी०आर०पी०, गोरखपुर में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण हेतु योजित किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05.10.2004 को समय 15:10 बजे प्लेटफार्म नंबर 5 पश्चिमी ओवरब्रिज के उत्तर रेलवे स्टेशन गोरखपुर में अभियुक्त को जी०आर०पी० कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तो उसके अवैध कब्जे से 230 टैबलेट एटीवान (नशीली गोलियाँ) बरामद हुई, जिसे ले जाने का अभियुक्त के पास कोई अधिकार पत्र नहीं था।
3. विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान जाँच, अभिलेख संकलन किया गया, गवाहों का बयान लिया गया तथा नक्शा नजरी तैयार किया गया। जाँचोपरांत अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध शिकायत-पत्र अंतर्गत अपराध संख्या 398/2004 धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसज्ञान लिया गया। अभियुक्त महेश राय ने अपनी जमानत करायी। अभियुक्त महेश राय के विरुद्ध दिनांक 22.03.2006 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की याचना की।
4. अभियोजन पक्ष ने अपना कथानक को सिद्ध करने के लिए पत्रावली पर वर्ष 2006 में आरोप विरचित होने के उपरान्त लगभग 20 वर्ष चले विचारण में कोई भी मौखिक साक्षी एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन को अपना कथानक सिद्ध करने के लिए अनेक बार अवसर प्रदान किया गया परंतु अभियोजन द्वारा गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2026 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० हेतु नियत की गई।
5. अभियुक्त महेश राय का बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दिनांक 18.02.2026 को अंकित कराया गया। जिसमें उसने घटना को गलत बताते हुए मुकदमा गलत चलाने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य न देने का कथन करते हुए स्वयं को फर्जी फंसाया जाने का कथन किया है।
6. अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 05.10.2004 को समय 15:10 बजे प्लेटफार्म नंबर 5 पश्चिमी ओवरब्रिज के उत्तर रेलवे स्टेशन गोरखपुर में अभियुक्त को जी०आर०पी० कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तो उसके अवैध कब्जे से 230 टैबलेट एटीवान (नशीली गोलियाँ) बरामद हुई, जिसे ले जाने का अभियुक्त के पास कोई अधिकार पत्र नहीं था।
7. मैंने अभियोजन पक्ष व अभियुक्त की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त पुलिस प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि दिनांक 05.10.2004 को समय 15:10 बजे प्लेटफार्म नंबर 5 पश्चिमी ओवरब्रिज के उत्तर रेलवे स्टेशन गोरखपुर में अभियुक्त को जी०आर०पी० कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तो उसके अवैध कब्जे से 230 टैबलेट एटीवान (नशीली गोलियाँ) बरामद हुई, जिसे ले जाने का अभियुक्त के पास कोई अधिकार पत्र नहीं था।

9. बचाव पक्ष की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है तथा अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

10. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 अनुसार जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी विनिर्मित औषधि का या किसी विनिर्मित औषधि को अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मित का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

11. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 22 अनुसार जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी मनःप्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

12. पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप दिनांक 22.03.2006 को विरचित हुआ तथा उसके उपरांत कोई भी अभियोजन साक्षी पेश नहीं किया गया। पत्रावली वर्ष 2004 से लंबित है। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी को प्रस्तुत करने हेतु अनेकों बार अवसर प्रदान किया गया परंतु अभियोजन द्वारा साक्षिगण को उपस्थित नहीं कराये जाने के कारण किसी भी प्रकार के अभियोजन प्रपत्र को साबित नहीं किया जा सका तथा अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका जो त्वरित न्याय की अवधारणा के प्रतिकूल हो।

13. हुसैन आरा खातून व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि त्वरित सुनवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त उचित निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक अभिन्न व आवश्यक घटक है, इसलिए त्वरित सुनवाई आपराधिक न्याय प्रणाली का एक आन्तरिक हिस्सा है और मुकदमे में देरी से न्याय में देरी होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए०आर० अनतुले बनाम आर०एस० नायक व अन्य तथा राजदेव शर्मा बनाम बिहार राज्य के अंतर्गत भा०दं०सं० के तहत सजा के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए अधिकतम समय सीमा तय करने के साथ-साथ तेजी से मुकदमा चलाने के निर्देश जारी किये। इसमें बताया गया कि दं०प्र०सं० इतनी व्यापक है कि यदि अभियोजन बार-बार अवसरों के बावजूद अपने गवाहों को उपस्थित कराने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट अभियोजन साक्ष्य को बंद करने में सक्षम है। धारा 309(1) दं०प्र०सं० उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करता है, क्योंकि यह कार्यवाही को शीघ्रता से आयोजित करने और आज दिन से गवाहों के निरंतर जाँच का आदेश देता है। राजदेव सिंह के मामले में ए०आर० अनतुले के संविधान पीठ द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए यह निर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में जहाँ मुकदमा सात साल की अवधि से अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए है। चाहे आरोपी जेल में हो या नहीं, अदालत उस तारीख से दो साल की अवधि पूरी होने पर साक्ष्य बंद कर देगी। तय किये गये आरोपों पर अभियुक्त की दलील दर्ज करने की चाहे अभियोजन पक्ष में उक्त अवधि के भीतर सभी गवाहों की जाँच की हो या नहीं और अदालत मामले की सुनवाई के लिए कानून द्वारा प्रदान किये गये अगले चरण पर आगे बढ़ सकती है। न्याय रोके जाने का अवसर न्याय न दिये जाने से अधिक खतरनाक और बद्तर माना जाता है।

14. श्रीमती मेनका गाँधी के मामले में सात सदस्यी न्यायिक पीठ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि कोई भी प्रक्रिया जो यथोचित त्वरित सुनवाई निश्चित नहीं करती है, उसे उचित, निष्पक्ष या

न्यायसंगत नहीं माना जा सकता और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। **करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने माना है कि त्वरित सुनवाई की अवधारणा आवश्यक है और इसमें गिरफ्तारी से लेकर कारावास, जाँच, पूछताछ, परीक्षण, अपनील और पुनरीक्षण तक कानूनी प्रक्रिया के सभी चरण शामिल हैं। इसका उद्देश्य अपरिहार्य और अनुचित देरी के कारण होने वाले पूर्वाग्रह को रोकना है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 23 जनवरी 2023 को मदन मोहन सक्सेना बनाम यू०पी० राज्य व 2 अन्य** के मामले में सुनवाई में अत्यधिक देरी को दमनकारी बताते हुए बिजली चोरी के आरोपी एक व्यक्ति के विरुद्ध 18 साल से लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

15. ट्रायल में देरी करने से कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं और सबसे बड़ा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पीड़ित तथा आरोपी दोनों व्यक्ति के साथ-साथ उनके परिवार को भी मानसिक तनाव और आघात से गुजरना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति के साथ प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ जाती है और सामाजिक दबाव तथा नफरत आमतौर पर किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बादी जैसा महसूस कराने जैसा प्रतीत होता है। साथ ही यह देश के न्यायिक प्रणाली में नागरिकों के विश्वास को भी क्षीण करता है।

16. अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में उसने घटना को गलत बताते हुए मुकदमा गलत चलाने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य न देने का कथन करते हुए स्वयं को फर्जी फंसाया जाने का कथन किया है।

17. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस मत पर है कि अपना कथानक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। अतः इस पत्रावली के अभियुक्त महेश राय साक्ष्य के अभाव में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त महेश राय को मुकदमा संख्या 4741/2004, मुकदमा अपराध संख्या 398/2004 अंतर्गत धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना जी०आर०पी०, गोरखपुर के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, अतः उसका मुचलका व जमानतनामा निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभू को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। धारा 437(a) दं०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक- 10.03.2026

(प्राग दत्त शुक्ल)  
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)  
गोरखपुर  
JO Code- UP 02254

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनांक- 10.03.2026

(प्राग दत्त शुक्ल)  
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)  
गोरखपुर  
JO Code- UP 02254